

28/5/19

पत्रावली भेजा हुई। वकील आपपक्ष उपस्थित नहीं। बार-बार
आवाज उठावाई गई फिर भी कोई उपस्थित नहीं। न ही
क्रिमि ने इनकी सौंपके उपस्थित ही। दारु प्रकरण अदम
हजारी भद्र पेशी ने श्वारीज लिया जाता है। पत्रावली
केवल सुभार घेक नभल से कम है

